

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4103 /

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021

श्री इमरान खान आत्मज स्व. श्री शेख अब्दुल खान, कोर्ट अटेंडेंट/रुम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये 5200—20200/- + ग्रेड पे रु. 1900/- (7 वे वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500—62000) में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदोन्नत किया जाता है :—

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
3. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
4. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई हैं तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
5. यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
6. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
7. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
8. यह, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ—सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय—समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुवार डिस्ट्रिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
9. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।

// 2 //

10. यह कि उन्हें घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।



24.7.21
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4104 /

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1, 2 एवं 3 / डी.ई / आई.एल. / (निरीक्षण एवं सतर्कता) / एक्जाम एवं लेबर ज्यूडिशियरी / कम-पी.पी.एस / सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था. / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री इमरान खान आत्मज स्व. श्री शेख अब्दुल खान, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन वराणी)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)